पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

P.G. (Regular/Self finance) के अन्तर्गत सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु छात्रों एवं महाविद्यालयों के लिए दिशा–निर्देश ।

सत्र 2023–25 P.G. (Regular/Self finance) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्रों में नामांकन हेतु विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिए निर्देश तय किये गये हैं, जो निम्नवत हैं:–

(1) विद्यार्थियों का Admission Process शुरू करते समय महाविद्यालय के द्वारा गठित नामांकन समिति सर्वप्रथम विद्यार्थियों से निम्न दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्राप्त करेगें।

(a) Xth Marksheet Photo copy
(b) XIIth Marksheet Photo copy and original only for verification
(c) Graduation Marksheet Photo copy and original only for verification
(c) Migration original
(d) Caste certificate (If applicable)
(e) E.W.S certificate (If applicable)
(f) Handicapped (If applicable)

(2) विद्यार्थी अपने को आश्वस्त करते हुए सही–सही Caste एवं Category भरेंगे अन्यथा गलत Caste एवं Category भरने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। महाविद्यालय इसकी जॉच करेगें कि विद्यार्थियों के द्वारा अपने Cast एवं Category को नामांकन प्रपत्र (Admission form) में सही ढंग से अंकित किया गया है अथवा नही।

मेधा सूची में भरे गए Cast एवं Category की भी जाँच मूल जाति प्रमाण पत्र से करना अनिवार्य है। मूल जाति प्रमाण पत्र और प्रस्ताव पत्र (Offfer letter) में Cast एवं Category में अन्तर पाये जाने पर नामांकन को रद्द कर दें।

(3) Selection list/offer letter में विद्यार्थी द्वारा अंकित Marks का मिलान मूल अंक पत्र से सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है। मिलान में अन्तर पाये जाने पर विद्यार्थी का नामांकन रद्द कर दें।

(4) किसी विद्यार्थी द्वारा भरे गए आवेदन (Application) में पाये जाने वाली छोटी–मोटी त्रुटियाँ जैसे–

(a) पिता का नाम (Father's Name),
(b) माता का नाम (Mother's Name)
(c) जन्मतिथि (Date of Birth)
(d) धर्म (Religion)

आदि त्रुटियों में सुधार Validation के समय महाविद्यालय के द्वारा स्वंय करके ही Validate किया जाएगा। महाविद्यकालय के द्वारा जैसे ही किसी विद्यार्थी का नामांकन validate किया जाता है तो उसी समय विद्यार्थी के Registered मोबाइल नम्बर पर विश्वविद्यालय के द्वारा नामांकित (Admitted) होने का संदेश दिया जाता है। यदि ऐसा नही होता है तो विद्यार्थी अपने नामांकन वाले महाविद्यालय में जाकर सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका नामांकन validate हुआ है अथवा नही।

(5) Admission & Registration से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या यदि रह जाती हो तब उनके समाधान. हेतु विद्यार्थी अपना आवेदन महाविद्यालय को देंगे तथा महाविद्यालय उन आवेदन पत्रों को अपने स्तर से प्राप्त कर त्रुटि सुधार हेतु विश्वविद्यालय में भेज देंगे। विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार के लिए आवेदन सीधे विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था नही है। ये सारी जबावदेही संबंधित महाविद्यालय को दिया गया है।

(6) जिन छात्र/छात्राओं को उनके choice के अनुसार प्रथम वरीयता का विषय एवं स्नातकोत्तर केन्द्र मिल गया है और यदि वे नामांकन नही लेते हैं तो उन्हें अगले मैरिट लिस्ट में शामिल नही किया जायेगा।

(7) वैसे छात्र जिनका द्वितीय या उससे पिछे के क्रम की वरीयता वाले स्नातकोत्तर केन्द्र के मैरिट लिस्ट में यदि चयन हुआ है और वे नामांकन नही लेना चाहते है तब उनको स्वतः Auto slide up देते हुए द्वितीय मेधा सूची में शामिल किया जायेगा। यही प्रक्रिया तृतीय मेधा सूची में भी अपनायी जायेगी।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा 3 (तीन) मेधा सूची निकाली जायेगी। यदि कुछ सीट खाली रह गए तब Merit cum Spot Round सम्पन्न होगा।

(9) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा।

प्रो0 ए0 के0 नाग
डी0 एस0 डब्लू0
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।